भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : 4233

दिनांक 18 जुलाई , 2019 / 27 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

ड्रोन उड़ाने हेतु हवाई क्षेत्र

4233. श्री डी. रविकुमार:

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ड्रोन उड़ाने के लिए हवाई क्षेत्र को लाल, पीला, और हरा इत्यादि जोनों में बांटने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मेट्रो शहरों जैसे दिल्ली, मुम्बई इत्यादि के पास घरेलू और वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु ड्रोन उड़ाने के लिए काफी कम हरा जोन शेष रह गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भारत में एनपीएनटी ड्रोन उड़ाने हेतु छूट प्राप्त करने वाली सभी ऐजेन्सियों की सूची क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क): सिविल रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (आरपीएएस) के प्रचालन के लिए अपेक्षाओं पर नागर विमानन महानिदेशक द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2018 को नागर विमानन अपेक्षाएँ (सीएआर) खंड 3-विमान परिवहन श्रेणी X भाग I अंक । जारी किया गया है जो ड्रोन्स के लिए प्रचालन प्रतिबंधों को परिभाषित करता है।ड्रोन्स के लिए एयरस्पेस के जोनिंग की प्रक्रिया अधूरी है।

(ख): राज्य/संघराज्य क्षेत्रों/संगठनों का ब्यौरा जिसके लिए मैपिंग आंकड़ा अपर्याप्त है, वह इस प्रकार है:-

1. बिहार,
2. रक्षा मंत्रालय (भारतीय सेना और भारतीय नौसेना), और
3.पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(ग): दिल्ली, मुंबई आदि मेट्रो शहरों की मैपिंग नागर विमानन अपेक्षाएं (सीएआर) में समाहित प्रावधानों एवं अलग-अलग राज्यों एवं केंद्रीय संगठनों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुरूप किया गया है।

(घ): सीएआर के अनुसार, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (NTRO), एविएशन रिसर्च सेंटर(एआरसी) और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसियों को विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) प्राप्त करने और मानव रहित विमान प्रचालन परमिट (UAOP), से छूट दी गई है जिससे भारत में इन संगठनों द्वारा एनपीएनटी ड्रोन उड़ान को छूट प्रदान की जाती है।

*****